अवतारसिंह हत्याकांड मामले में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सहित नौ को उम्रकैद

वारदात 10 जून 2016 को अलवर जिले के नौगावां थाना क्षेत्र के पाटा गांव में घटित हुई थी, मृतक अवतार सिंह, मुख्य आरोपी और पूर्व भाजपा नेता इंद्रजीतसिंह का सगा भांजा था

- सरपंच चुनाव में अवतार सिंह का परिवार जिस स्थानीय प्रत्याशी का समर्थन कर रहा था, वह चुनाव जीत गया था, जिससे इंद्रजीत सिंह ने अपने ही भांजे से रंजिश पाल ली थी
- 10 साल बाद आए अदालत के फैसले ने यह साफ कर दिया है कि अपराध करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी रसूखदार क्यों न हो, वह कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकता

अलवर, (निसं)। अलवर के जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने वर्ष 2016 के बहुचर्चित अवतार सिंह हत्याकांड में एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह (पाटा) समेत नौ मुख्य आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सख्त सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने सभी दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है। 10 साल से अधिक समय तक चली इस लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आए अदालत के इस फैसले ने यह साफ कर दिया है कि अपराध करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी रसूखदार क्यों न हो, वह कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकता। इस फैसले के बाद से ही कोर्ट परिसर के बाहर और पाटा गांव में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े।

न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने मामले की गंभीरता और अपराध की क्रूरता को देखते हुए दोषियों को किसी भी प्रकार की राहत देने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कानून की विभिन्न धाराओं के तहत सभी 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और प्रत्येक दोषी पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उम्रकैद की सजा पाने वाले अपराधियों में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह (पाटा), अनूप सिंह, कमलजीत सिंह, गुरवचन सिंह, जसपाल सिंह, कुलवंत सिंह, अमन सिंह, हरविंदर सिंह और विश्वेंद्र सिंह शामिल हैं। सरकारी वकील और पीड़ित पक्ष की ओर से अदालत में इस जघन्य हत्याकांड को साबित करने के लिए बेहद मजबूत तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए थे।

न्यायालय ने यह सख्त फैसला अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए 22 महत्वपूर्ण गवाहों के बयान, डॉक्टरों की विस्तृत मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटना स्थल से जुटाए गए पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर सुनाया है। बचाव पक्ष के वकीलों ने इंद्रजीत सिंह के राजनीतिक रसूख और पारिवारिक संबंधों का हवाला देकर राहत मांगने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने अपराध की प्रकृति को देखते हुए सभी दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया।

अदालत का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद मृतक अवतार सिंह के बेटे अजयपाल ने भावुक होते हुए मीडिया को बताया कि उनके परिवार को पूरे 10 साल और 18 दिन के लंबे व मानसिक तनाव से भरे इंतजार के बाद आज आखिरकार न्याय मिला है। उन्होंने न्यायपालिका के प्रति अपना गहरा आभार व्यक्त किया।

हालांकि, कोर्ट परिसर में एक बेहद अजीब और चौंकाने वाला दृश्य भी देखने को मिला। सजा का एलान होने के बाद भी मुख्य आरोपी इंद्रजीत सिंह पाटा और अन्य दोषियों के चेहरों पर अपने किए का कोई पछतावा या शिकन नहीं दिखाई दी। जेल वैन में बैठते समय भी आरोपी पुलिस के सामने हंसते हुए और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए नजर आए, जिसकी स्थानीय लोगों और कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों ने कड़ी निंदा की है।

गौरतलब है कि यह खूनी वारदात 10 जून 2016 की शाम करीब 6:30 बजे अलवर जिले के नौगावां थाना क्षेत्र के पाटा गांव में घटित हुई थी, जिसने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया था। मृतक अवतार सिंह, मुख्य आरोपी और पूर्व भाजपा नेता इंद्रजीत सिंह का सगा भांजा था। पाटा गांव में हुए सरपंच चुनाव को लेकर दोनों परिवारों के बीच गहरा विवाद चल रहा था। अवतार सिंह का परिवार जिस स्थानीय प्रत्याशी का समर्थन कर रहा था, वह चुनाव जीत गया था, जिसके बाद से आरोपी इंद्रजीत सिंह ने अपने ही भांजे से रंजिश पाल ली थी। 10 जून की शाम को आरोपियों ने पूरी प्लानिंग के साथ अवतार सिंह और उनके परिजनों को गांव के रास्ते में घेर लिया। आरोपियों ने उन पर हथौड़े, तलवार, चाकू, लोहे के पाइप, हॉकी और लाठियों से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला किया, जिससे अवतार सिंह लहूलुहान होकर वहीं गिर गए। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद नौगावां थाने में मर्डर का केस दर्ज हुआ था।

बीकानेर में हिस्ट्रीशीटर हरिओम के मकान को जेसीबी से तोड़ा

- प्रशासन और पुलिस की टीम जेसीबी लेकर उसके निवास पर पहुंची और अतिक्रमण कर किए गए निर्माण को ढहा दिया
- हरिओम रामावत गैंगस्टर रोहित से जुड़ा हुआ है, इसके खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला, फिरौती, अपहरण, लूट के 20 मुकदमे पुलिस थानों में दर्ज है

बीकानेर, (निसं)। प्रशासन और पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा जुड़े हिस्ट्रीशीटर हरिओम रामावत के मकान पर जेसीबी चलाकर अतिक्रमण तोड़ा है। फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर के घर नोटिस भी चस्पा किया गया है।

जानकारी के अनुसार गंगाशहर में विनायक नगर निवासी हरिओम रामावत हिस्ट्रीशीटर है और गैंगस्टर रोहित से जुड़ा हुआ है। उसके खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला, फिरौती, अपहरण, लूट के 20 मुकदमे पुलिस थानों में दर्ज हैं। वर्तमान में वह कोटगेट पुलिस थाने में दर्ज संगठित अपराध से जुड़े मामले में फरार चल रहा है। प्रशासन और पुलिस की टीम जेसीबी लेकर उसके निवास पर पहुंची और अतिक्रमण कर किए गए निर्माण को ढहा दिया। टीम ने मकान के सामने बनी चौकी, छज्जा, उस पर बने पिलर, बाहर निकली खिड़कियां और अन्य अतिक्रमण तोड़ दिया। उसके नाम नोटिस भी चस्पा किया गया है, जिसमें मकान की दीवारें व अन्य स्थान निर्माण में किए गए अतिक्रमण हो हटाने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मकान में मौजूद लोगों को बाहर निकाला और उसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई की। इस दौरान सीओ गंगाशहर और बीडीए तहसीलदार आकांक्षा पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे।

गौरतलब है कि रोहित गोदारा ने विदेश से बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना इलाके में रहने वाले एक बड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारी को इंटरनेशनल नंबर से कॉल करके 80 लाख रुपये की रंगदारी (फिरौती) मांगी थी। व्यवसायी ने पैसे देने से मना करने पर, रोहित ने स्थानीय स्तर पर दहशत पैदा करने का जिम्मा हरिओम रामावत को सौंपा। हरिओम ने राजस्थान और हरियाणा से हथियार और शूटर (लॉजिस्टिक्स) अरेंज किए। शूटरों ने व्यवसायी के घर और गाड़ी पर सरेआम गोलियां चलाईं और परिवार को धमकी दी।

युवक की संदिग्ध मौत

पावटा, (निसं)। भाबरू थाना क्षेत्र के ग्राम जयसिंहपुरा में शनिवार को 21 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान जितेंद्र सिंह पुत्र बिहारी सिंह (21) निवासी जयसिंहपुरा के रूप में हुई है। घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने भाबरू थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर थानाधिकारी प्रदीप कुमार पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

थानाधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि मृतक के गले पर निशान पाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एसएफएल टीम को बुलाया गया, जिसने साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए विराटनगर उपजिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया है।

श्रीगंगानगर में अशोक चांडक के घर से तीन करोड़ की नगदी और 50 प्रॉपर्टी के कागजात मिले

- अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अशोक चांडक के आठ ठिकानों पर ईडी का सर्च, संदिग्ध लेनदेन के रिकॉर्ड भी मिले
- अशोक चांडक की कंपनी महादेव एनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड पर बिहार में अवैध बालू खनन में 131 करोड़ के गबन का आरोप है

श्रीगंगानगर, (निसं)। भाजपा नेता और शराब कारोबारी अशोक चांडक के घर से प्रवर्तन निदेशालय की टीम को तीन करोड़ कैश और 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मिले। साथ ही कई संदिग्ध लेनदेन के रिकॉर्ड मिले हैं। ईडी की टीमों ने शुक्रवार सुबह 5 बजे चांडक के 8 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे, देर रात एक बजे तक कार्रवाई चली।

जानकारी के अनुसार, अशोक चांडक की कंपनी महादेव एनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड पर बिहार में अवैध बालू खनन में 131 करोड़ के गबन का आरोप है। बिहार खान एवं भू-तत्व विभाग ने कंपनी पर अवैध बालू खनन का केस भी दर्ज कराया है। 21 अगस्त 2025 को दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई की। ईडी की टीमों ने श्रीगंगानगर में 4, जयपुर में 1, दिल्ली, पटना और बांका जिले में मिलाकर कुल 8 ठिकानों पर छापे मारे। अशोक चांडक के ससुराल जयपुर में भी ईडी की टीम पहुंची। छापेमारी के दौरान डिजिटल दस्तावेज, लेनदेन के रिकॉर्ड और खनन से जुड़े महत्वपूर्ण कागजात भी जब्त किए गए। अशोक चांडक महादेव सट्टा एप और स्काई एक्सचेंज बैटिंग एप से भी जुड़े हुए हैं।

जानकारी के अनुसार, ईडी ने हाल ही में महादेव सट्टा एप और स्काई एक्सचेंज बैटिंग एप जुड़े से चेयरमैन विकास गर्ग को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद इन एप से जुड़े सहयोगियों और निवेशकों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं, रायपुर की पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने विकास गर्ग को 24 जुलाई तक ईडी की रिमांड पर भेजा है। ईडी का दावा है कि अवैध कमाई को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए लॉन्ड्रिंग किया गया। इसके बाद इस पैसे का इस्तेमाल लिस्टेड कंपनियों में किया गया और करीब 1,175 करोड़ रुपए में अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी ईबीआईएक्स की हिस्सेदारी खरीदी गई। इस पूरे सिलसिले में दुबई, मॉरीशस और अमेरिका के रास्ते पैसे को घुमाया गया। ईडी अब इस बात की जांच कर रही है कि अवैध खनन और सट्टा एप से प्राप्त धन को अशोक चांडक ने कहां-कहां खपाया। छापेमारी में मिले दस्तावेज के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है।

सोनम वांगचुक को अनशन से जबरन उठाना दुर्भाग्यपूर्ण : सचिन पायलट

टोंक में सचिन पायलट ने जिला आदिवासी कांग्रेस द्वारा आयोजित सभा को संबोधित किया।

- यह बेहद आश्चर्यजनक है कि केन्द्र सरकार न तो वांगचुक से बात करने को तैयार है और न ही उनकी मांगें मानने को तैयार है : पायलट
- पायलट ने जिला आदिवासी कांग्रेस द्वारा आयोजित सम्मेलन में शिरकत की

टोंक, (निसं)। दो दिवसीय दौरे पर आये कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम व टोंक विधायक सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत के दौरान शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। इस मौके पर सचिन पायलट ने कहा कि यह बेहद आश्चर्यजनक है कि सरकार न तो वांगचुक से बात करने को तैयार है और न ही उनकी मांगें मानने को तैयार है। उन्होंने कहा कि वांगचुक अपनी मांगों को लेकर 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान संसद तक जाना चाहते थे, इसलिए सरकार बौखलाहट में काम कर रही है। जिन मुद्दों को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, नौजवान आंदोलित हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ राहुल गांधी भी सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। लेकिन इस्तीफा लेने के बजाय सरकार ने अनशन कर रहे व्यक्ति को जबरन उठाकर गिरफ्तार कर लिया। यह सरकार के काम करने के तरीके का एक उदाहरण है। सरकार न संवाद करना चाहती है, न चर्चा करना चाहती है, न मांगों पर ध्यान देना चाहती है और न ही शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना चाहती है।

सचिन पायलट ने कहा कि भूख हड़ताल पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी, लेकिन सरकार ने उसे जबरन खत्म करने की कोशिश की। इससे स्पष्ट है कि सरकार बैकफुट पर है, बौखलाई हुई है और कहीं न कहीं उसे जनभावनाओं का भी डर है। पायलट ने कहा कि सरकार जनता की मांगें पूरी नहीं करना चाहती और न ही उसने कोई संवाद स्थापित किया। यदि सरकार का कोई प्रतिनिधि वांगचुक से मिलकर बातचीत करता और उनकी मांगों पर चर्चा करता तो समाधान निकल सकता था। समस्या का समाधान करने के बजाय उन्हें गिरफ्तार करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस का रुख पूरी तरह स्पष्ट है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और सरकार को इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनावों को लेकर पायलट ने कहा कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि उसे पता है कि जनादेश उसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट भी पहले इस संबंध में टिप्पणी कर चुका है, लेकिन सरकार हर बार कोई न कोई बहाना बना लेती है। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि जिले में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई है।

सचिन पायलट ने भीम सेना पदाधिकारी अशोक बैरवा के निवास पर पहुंचकर उनकी माताजी शांति देवी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की तथा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसी प्रकार पायलट ने जिला आदिवासी कांग्रेस द्वारा आयोजित सम्मेलन शहनाई मैरिज गार्डन में मुख्य अतिथि के रूप से पहुंचे, जहां उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आदिवासी समाज के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से विचार रखे। पायलट ने कहा आदिवासी समाज के हितों की रक्षा, उनके अधिकारों और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ हम सभी कार्य करेंगे। इस अवसर पर आदिवासी कांग्रेस के संगठन महासचिव हरगुण बेपर, शिवचरण मीणा संभाग प्रभारी, सऊद सईदी जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, रामविलास चौधरी, डॉ. सुमित गर्ग संगठन सह प्रभारी टोंक, आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष फौजु राम मीणा, हरिप्रसाद बेरवा, पूर्व विधायक कमल बेरवा, मौसमी मीणा, शिवजी राम, कैलाशी देवी, दिनेश चौरसिया, हंसराज फगणा, गुरु लाल, बजरंग लाल, धर्मेंद्र सालोदिया, रामलाल संडीला, हसीन आदि सहित आदिवासी कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे।

जोधपुर में डोडा-पोस्त से भरी कार पकड़ी, तस्कर गिरफ्त में

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर कमिश्नरेट की डांगियावास थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 39 किलोग्राम डोडा-पोस्त और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही ऑल्टो कार जब्त की है। आरोपी बालोतरा जिले का रहने वाला है, जो जोधपुर के ग्रामीण इलाकों में डोडा-पोस्त की सप्लाई करने आ रहा था। डीसीपी पूर्व मनीष चौधरी, एडीसीपी नरेंद्र सिंह देवड़ा, एसीपी अनिल शर्मा की मॉनिटरिंग में टीम ने कार्रवाई ने की।

डांगियावास थानाधिकारी राजूराम काला ने बताया कि जालेली फौजदार सरहद पर गश्त और सघन नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान एक सफेद रंग की ऑल्टो कार तेज रफ्तार में आती दिखाई दी। पुलिस ने जब कार को रुकने का इशारा किया, तो ड्राइवर ने रफ्तार और बढ़ा दी और भागने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कार को पकड़ लिया। कार की तलाशी लेने पर उसमें से 39 किलो डोडा-पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने कार और मादक पदार्थ को जब्त कर आरोपी डोली कला, थाना कल्याणपुर जिला बालोतरा निवासी दिनेश पुत्र मोहकमराम विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पुलिस पूछताछ में सामने आया कि दिनेश घर में सबसे बड़ा है और उसके माता-पिता बुजुर्ग हैं। घर में कोई और कमाने वाला नहीं था। जल्द और ज्यादा पैसा कमाने की चाहत में वह इलाके के कुछ मादक पदार्थ तस्करों के संपर्क में आया और उनके साथ मिलकर खुद भी तस्करी के इस काले कारोबार में उतर गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से यह पता लगाने में जुटी है कि वह यह खेप कहां से लाया था और जोधपुर में किसे सप्लाई करने वाला था।

अपहरण के आरोपी को पकड़ा

कोटा, (निसं)। मानव तस्करी यूनिट एवं बोरखेड़ा पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर बालिका के अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार किया है। शहर एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 2 जुलाई को परिवादी द्वारा रिपोर्ट दी गई कि उसकी 16 वर्षीय बेटी जो 15 जून से लापता है। रिपोर्ट में कहा कि 15 जून रात्रि को सब टापरी में सो रहे थे। उस समय उसकी बेटी घर से गायब हो गई। फरियादी ने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के भैंरूलाल पर बेटी को बहलाकर भगा ले जाने का शक जताया। इसके बाद गठित टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुये नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर आरोपी भैंरूलाल को गिरफ्तार किया।

''संग्राम शक्ति फाउंडेशन'' के सहयोग से जनता विद्यालय छू रहा ऊंचाइयां

- संग्राम शक्ति फाउंडेशन, जयपुर ने अब आगामी तीन वर्षों में विद्यालय को पूरी तरह हाईटेक और मॉडल स्कूल बनाने का बीड़ा उठाया है
- ग्रामीणों और स्टाफ का मानना है कि फाउंडेशन की इस अनूठी पहल से क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलेंगे

संग्राम शक्ति फाउंडेशन, जयपुर के कर्नल वी.पी. सिंह और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रसीदपुरा खुड़ी (जनता विद्यालय) के प्रधानाचार्य चिरंजीलाल चिरानिया ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए।

लक्ष्मणगढ़/सीकर। शिक्षा के स्तर को सुधारने और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रसीदपुरा खुड़ी (जनता विद्यालय), ब्लॉक लक्ष्मणगढ़ में एक सराहनीय पहल की गई है। पिछले छह महीनों से विद्यालय के जीर्णोद्धार में सक्रिय भूमिका निभा रहे संग्राम शक्ति फाउंडेशन, जयपुर ने अब आगामी तीन वर्षों में विद्यालय को पूरी तरह हाईटेक और मॉडल स्कूल बनाने का बीड़ा उठाया है। इस उद्देश्य के लिए फाउंडेशन के कर्नल वी.पी. सिंह ने विद्यालय के शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और आधुनिक सुविधाओं को लेकर एक विस्तृत परिचर्चा की। बैठक के बाद आगामी तीन साल की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए संग्राम शक्ति फाउंडेशन के कर्नल वी.पी. सिंह और विद्यालय के प्रधानाचार्य चिरंजीलाल चिरानिया ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए।

विगत 6 माह में स्कूल के दिन फिरे :- फाउंडेशन द्वारा पिछले छह महीनों में विद्यालय परिसर की कायाकल्प करने के लिए बड़े स्तर पर कार्य करवाए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से विद्यार्थियों हेतु अत्याधुनिक फर्नीचर, विद्यालय भवन की सम्पूर्ण मरम्मत, आकर्षक रंग-रोगन और छत की वॉटर प्रूफिंग का कार्य, स्टाफ रूम के लिए नए कक्ष का निर्माण, नए सिरे से पूरी बिजली फिटिंग और सुरक्षा के लिहाज से पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाना, विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए स्मार्ट क्लासरूम का पूरा सेटअप तैयार करना, सांस्कृतिक व साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए शानदार स्टेज (मंच) का निर्माण और प्रार्थना स्थल हेतु पक्के फर्श का निर्माण शामिल हैं।

विद्यालय को कॉर्पोरेट और निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं प्रदान करने के इस भगीरथ प्रयास के लिए प्रधानाचार्य चिरंजीलाल चिरानिया और समस्त स्टाफ सदस्यों ने संग्राम शक्ति फाउंडेशन के कर्नल वी.पी. सिंह तथा गोविंद बाग (खुड़ी) के के.वी. सिंह सहित सभी भामाशाहों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। ग्रामीणों और स्टाफ का मानना है कि इस अनूठी पहल से क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलेंगे।

कोटा में कार से 136 किलो डोडा-चूरा बरामद, तस्कर गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए कार से 136.150 किलोग्राम अवैध डोडा-चूरा बरामद कर तस्कर को गिरफ्तार किया।

उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि राजस्थान नम्बर वाली एक कार में तस्कर नेटावल महाराज-ओदुंद क्षेत्र से सीकर की ओर अवैध डोडा-चूरा लेकर जा रहा है। उक्त सूचना पर सीबीएन कोटा के अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया, गठित टीम को मौके पर रवाना किया गया। गठित टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध वाहन की पहचान होने पर सीबीएन अधिकारियों ने कार को रोकने की कोशिश की, किन्तु चालक ने वाहन नहीं रोका तथा तेज गति से भागने का प्रयास किया। उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि टीम द्वारा लगभग 300 मीटर तक पीछा करने के दौरान वाहन को रोकने के उद्देश्य से सीबीएन अधिकारियों द्वारा पिस्टल एवं ट्राईका राईफल से चेतावनी स्वरूप फॉयर किए गए। इसके पश्चात वाहन में सवार व्यक्ति वाहन को सड़क पर छोड़कर अंधेरे का लाभ उठाते हुए भागने का प्रयास करने लगा, किन्तु सीबीएन अधिकारियों ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। टीम ने कार को कार्यालय लाकर तलाशी ली तो तलाशी लेने पर कार के अन्दर से 7 बोरियों से कुल 136.150 किलोग्राम अवैध डोडा-चूरा बरामद हुआ। इसके बाइ अवैध डोडा-चूरा एवं कार को जब्त कर लिया गया तथा एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया, मामले में आगे की जांच प्रकिया जारी है।

चलती ट्रेन से गिरा युवक गंभीर घायल

अजमेर/विजयनगर, (निसं)। नसीराबाद से लोकल ट्रेन में सवार होकर अपने गृह नगर विजयनगर लौट रहे एक युवक के साथ हादसा हो गया। विजयनगर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने के दौरान उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों ने तत्काल घायल को संभाला तथा उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। घायल की पहचान श्यामलाल के रूप में हुई है।

शिक्षा विभाग अब कुछ खास मामलों में ट्रांसफर के लिए परिवेदनाएं लेगा

- एकल-विधवा, असाध्य बीमारियों के मामले में टीचर्स गुहार लगा सकेंगे

बीकानेर, (निसं)। शिक्षा विभाग में 19 जून से 10 जुलाई तक टीचर्स के तबादले हुए। इसके बाद कुछ खास मामलों में अब शिक्षा विभाग ट्रांसफर की परिवेदनाएं स्वीकार करेगा। तबादले को लेकर जिन टीचर्स को आपत्ति है, वे परिवेदना लगा सकेंगे। इस आधार पर राहत देने के लिए निदेशालय ने कमेटियों का गठन किया है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्थानांतरण आदेशों से संबंधित परिवेदनाओं (आपत्तियों) की जल्दी जांच और निपटारे के लिए निदेशालय और संभाग स्तर पर समितियों का गठन किया है। यह आदेश प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से ट्रांसफर पर लगी रोक में 19 जून से 10 जुलाई 2026 तक दी गई छूट के दौरान जारी ट्रांसफर ऑर्डर के संदर्भ में जारी किया गया है। निदेशक की ओर से जारी आदेश के अनुसार एकल महिला, विधवा, मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित गंभीर और असाध्य रोगों जैसे कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, किडनी आदि से पीड़ित, दिव्यांग कार्मिक, दीर्घावधि सेवाकाल और सरकारी सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के मामलों से जुड़ी परिवेदनाओं की सुनवाई समितियां करेंगी। निदेशालय स्तर समिति-अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक) को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में संयुक्त निदेशक (कार्मिक), संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), उपनिदेशक (प्रशासन), उप-विधि परामर्शी तथा सहायक निदेशक (स्थापना सी-5) सदस्य सचिव होंगे। संबंधित संभाग के संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) इस समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में संभाग मुख्यालय के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक द्वारा नामित जिला शिक्षा अधिकारी तथा संयुक्त निदेशक कार्यालय के अति. जिला शिक्षा अधिकारी/समकक्ष अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।